इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2020—अग्रहायण 6, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक—भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.— स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकी सूचनाएं,

भाग 4.— (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्र. एफ 1 (ए) 186—1991—ब—2—दो.— राज्य शासन, श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक/प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018—21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 21 दिसम्बर 2020 से 02 जनवरी 2021 तक, कुल 13 दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19—20 दिसम्बर 2020 व 03 जनवरी 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश अवधि में गृह नगर की यात्रा के बदले भारत भ्रमण हेतु उत्तर पूर्व राज्य तवांग (अरूणाचल प्रदेश) जाने की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री अजय कुमार शर्मा, — स्वयं
2. श्रीमती मोनिका शर्मा, — पत्नी

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे का चालू कार्य श्री जे.पी. पस्तोर, मुख्य परियोजना यंत्री, मप्रपुआ एवं अविनि, प्रबंध संचालक द्वारा अपने कार्य के साथ—साथ संपादित किया जायेगा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक / प्रबंध संचालक, म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2020

फा. क्रमांक 4403–21–ब (दो)–2020.– मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 4 व 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री श्यामकांत कुलकर्णी सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्दौर तथा श्री प्रेम कुमार सिन्हा सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से न्यायिक सदस्य के पद पर 5 वर्ष की कालावधि के लिए या उस समय तक के लिए जब तक की वह 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो, नियुक्त करता है.

F.No. 4403-XXI-B(II)-2020.- In exercise of the powers conferred by Section 4 and 5 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No 29 of 1983) the State Government hereby, appoints Shri Shyamkant Kulkarni Retd. District and Session judge, Shri Sushil Kumar Sharma District and Session Judge Indore, and Shri Prem Kumar Sinha Retd. District and Session Judge as Judicial Member of the M.P. Arbitration Tribunal, Bhopal from assuming the charge for the period of five years or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2020

क्र. एफ–22–14–2000–ई–चार.– राज्य शासन, एतद्द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI), मुंबई के पत्र क्रमांक सिडबीः आइएफवीः सं 7546 / MPFC- बीओडी, दिनांक 20 अक्टूबर 2020 के संदर्भ में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07 दिसम्बर 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 10 (ए) सहपठित धारा 15(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अनुराग जैन,तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के स्थान पर श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल को मध्यप्रदेश वित्त निगम के अध्यक्ष पद हेतु तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से मनोनीत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार जैन, उपसचिव.

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2020

क्र. एफ 7–1–2019–32–3.– राज्य शासन द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) की धारा 4 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष की अर्हताएं और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें) नियम, 2019 की धारा 7 के तहत अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग को अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नामनिर्दिष्ट किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश कुशरे, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2020

क्र. एफ 3–3–2020–अठारह–6.– विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03 अप्रैल 2018 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी परियोजना काउण्टर मैग्नेट क्षेत्र की परिवर्तित सीमा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13(2) के अंतर्गत ग्वालियर निवेश क्षेत्र की सीमा को सम्मिलित किया गया है, जिसके कारण निवेश क्षेत्र में, अधिनियम, 1973 की धारा 38 के तहत गठित ग्वालियर विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण काउण्टर मैग्नेट ग्वालियर दो संस्थाएं कार्यरत है. इस वैधानिक त्रुटि को दूर करने के लिए राज्य शासन, एतद्द्वारा अधिसूचना दिनांक 03 अप्रैल 2018 को निरस्त करती है, ताकि दोनो संस्थाएं यथावत कार्यरत रह सकें. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण काउण्टर मैग्नेट ग्वालियर की सीमा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29

नवम्बर 2012 के अनुरुप रहेगी.

क्रमांक एफ–3–28/2018/18–5 :– मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा–23 सहपठित धारा–18 की उपधारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि, राज्य सरकार द्वारा संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 703/वि0यो0/496–2018, भोपाल दिनांक 08.02.2018 द्वारा प्रकाशित ग्वालियर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार ग्वालियर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा–19 (1) में अनुमोदित किया गया है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :–

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, ग्वालियर मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर मध्यप्रदेश

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक	सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्वालियर विकास योजना 2021	–	5	**कंडिका 5.14.1 (च):–** डी0आर0डी0ओ0 सिटीसेंटर, तानसेन मार्ग की सीमा से 200 मीटर तक केवल 6 मीटर की ऊंचाई तक का निर्माण अनुमत होगा।	–	**कंडिका 5.14.1 (च):–** डी0आर0डी0ई0 सिटीसेंटर, तानसेन रोड की सीमा से 200 मीटर तक कोई भी निर्माण DRDE की अनापत्ति के बिना अनुज्ञेय नहीं होगा।
				कंडिका 5.14.1 (छ) :– थल सेना एवं वायु सेना की सीमा से 100 मीटर तक केवल 6 मीटर की ऊंचाई का निर्माण अनुमत होगा।	–	**कंडिका 5.14.1 (छ) :–** थल सेना एवं वायु सेना की सीमा से 100/900 मीटर तक कोई भी निर्माण थल सेना एवं वायुसेना की अनापत्ति के बिना अनुज्ञेय नही होगा ।
				सारिणी 5–सा–1 की टीप :– विकास योजना मानचित्र में दर्शाये गये क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से एयरफोर्स से 4 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत, आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं औद्योगिक भू–उपयोग प्रस्तावित	–	**सारिणी 5–सा–1 की टीप :–** विकास योजना मानचित्र में दर्शाये गये क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील एयरफोर्स से 4 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत भी आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा औद्योगिक उपयोग प्रदर्शित किये गये है । इस क्षेत्र में किये जाने

				किया गया है । इस क्षेत्र में किये जाने वाले आवासीय एवं वाणिज्यिक विकास में 6 मीटर, सार्वजनिक एवं अर्द्वसार्वजनिक तथा औद्योगिक हेतु किए जाने वाले विकास की अधिकतम ऊंचाई 7.2 मीटर होगी।		वाले आवासीय एवं वाणिज्यिक विकास में 6 मीटर से अधिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्वसार्वजनिक एवं औद्योगिक विकास में 7.2 मीटर से अधिक ऊंचाई एयरफोर्स/रक्षा मंत्रालय की अनापत्ति के बिना अनुज्ञेय नहीं होगी ।
2	**ग्वालियर विकास योजना 2021**	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	**5**	5–सा–14	पी–**1** कॉलम 4 सरल कं. 15 सरल कं. 86 सरल कं. 123	हेल्थ सेंटर **NP** के स्थान पर P मान्य होगा। Local self, Semi Govt./Govt. Office (गतिविधि) **NP** के स्थान पर **P** मान्य होगा। गैर प्रदूषणकारी उद्योग *

व्याख्या –

i * गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

टीप :–सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी।

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2020

क्रमांक 15–39/2005/10–2:: राज्य शासन द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 सन् 1972) की धारा 18(1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार अधिसूचना क्रमांक 15–16–75–दस–2 दिनांक 21 मई 1981 (मध्यप्रदेश राजपत्र पत्र दिनांक 12 जून 1981 में प्रकाशित) द्वारा 512 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घाटीगांव "हुकना" पक्षी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) अभयारण्य घोषित किया गया था। राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ–14–146–91–दस–2 दिनांक 21 जनवरी, 1994 द्वारा 1.35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अभयारण्य से पृथक किया गया है।

राज्य शासन एतद्द्वारा समस्त सक्षम अनुमतियों के उपरांत अधिसूचना दिनांक 21 मई, 1981 में आंशिक संशोधन करते हुये संलग्न परिशिष्ट–1 में दर्शित 111.73 वर्ग किलोमीटर राजस्व क्षेत्र को अभयारण्य से पृथक करता है, जो इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से अभयारण्य नहीं रहेगा। फलस्वरूप संलग्न परिशिष्ट–2 में दर्शाये गये विवरण अनुसार क्षेत्र घाटीगांव "हुकना" पक्षी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) अभयारण्य का रकबा शेष रहेगा, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

घाटीगांव हुकना पक्षी अभयारण्य का संशोधित क्षेत्रफल का विवरण

अभयारण्य का नाम	घाटीगांव हुकना पक्षी अभयारण्य
जिला	ग्वालियर
तहसील	ग्वालियर, घाटीगांव
वनमंडल	ग्वालियर सामान्य
वन परिक्षेत्र	गेंमरेंज तिघरा/घाटीगांव
क्षेत्रफल	आरक्षित वन 306.14 वर्ग किलोमीटर
	संरक्षित वन 19.84 वर्ग किलोमीटर
	राजस्व क्षेत्र 72.94 वर्ग किलोमीटर
योग	**398.92 वर्ग किलोमीटर**

अभयारण्य की संशोधित सीमाओं का विवरण

उत्तरः– आसन नदी से वनखण्ड पिपरझील की उत्तरी सीमा, वनखण्ड कुलैथ की उत्तरी सीमा एवं कक्ष क्रं. 359, 360 की कृत्रिम सीमा तिघरा जलाशय तक तथा तिघरा–ग्वालियर पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग होते हुये वनखण्ड रायपुर के कक्ष क्रमांक 337 की उत्तरी, कक्ष क्रं. 335, 336 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्रं. 334 की पूर्वी सीमा, कक्ष क्रमांक 328, 329, 331 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्रं0 326, 327 की उत्तरी सीमा।

पूर्व :– वनखण्ड रायपुर के कक्ष क्रं. 326, 327, 330 की पूर्वी सीमा, ए0बी0 रोड से वनखण्ड रायपुर की दक्षिणी सीमा, एम.जी.बी. पवा पावटा की पूर्वी सीमा से होते हुये आगरा–बॉम्बे रोड होते हुए कक्ष क्रमांक411 तक।

दक्षिणः–आगरा–बॉम्बे रोड से कक्ष क्रं0 411, 412 की पश्चिमी सीमा , 413, 414, 415, 421 की दक्षिणी सीमा तथा कक्ष क्रं0 416 की दक्षिणी एवं पूर्वी सीमा, कक्ष क्रं0 417, 418 की दक्षिणी सीमा होते हुये, कक्ष क्रं0 418 की दक्षिणी, पश्चिमी सीमा होते हुये कक्ष क्रं0 431, 432, 433 की दक्षिणी सीमा होते हुये डांडाखिडक बसौटा मार्ग तक।

पश्चिमः–कक्ष क्रं. 433 की दक्षिणी सीमा से बसौटा मार्ग होते हुये आसन नदी जिला मुरैना की सीमा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.एस.मोहन्ता, सचिव.

परिशिष्ट–1
घाटीगांव हुकना पक्षी अभयारण्य से पृथक किये गये राजस्व भूमि का विवरण

कंमाक	राजस्व ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	गिरवाई	1275.515
2	चक गिरवाई	17.20
3	कोटा लश्कर	34.24
4	बरा	136.525
5	नयागांव	126.307
6	पनिहार	350.315
7	रायपुर (झाला, कांसेर, आमई आमा)	2370.88
8	बरई	2321.83
9	मालीपुरा	164.05
10	सुजवाया	303.54
11	तिघरा	327.68
12	बिठौली	38.995
13	महाराजपुरा	78.251
14	ओड़पुरा	5.421
15	सौजना	2.532
16	घाटीगांव	601.15
17	धुंआ	1073.04
18	जखौदी	153.55
19	खितैरा	525.09
20	बसईकला	475.106
21	समेड़ी (झारा)	600.55
22	कालाखेत	84.6
23	रामपुरा	106.63
योग		**11173 हेक्टेयर या 111.73 वर्ग कि.मी.**

परिशिष्ट–2

घाटीगांव हुकना पक्षी अभयारण्य के अन्तर्गत शेष रकबा (हेक्टेयर में)

क्र.	वनखण्ड	अधिसूचित क्षेत्र	आरक्षित/संरक्षित	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
1	बरई पनिहार	56.656	संरक्षित	P- 401	56.656
2	आमईआमा	85.388	संरक्षित	P-345	85.388
3	राई	1841.972	संरक्षित	P-427	436.337
			संरक्षित	P-426	314.375
			संरक्षित	P-425	322.873
			संरक्षित	P-428	477.342
			संरक्षित	P-429	291.045
			योग संरक्षित वन		**1984.016**
4	घाटीगांव पार्ट	4337.828	आरक्षित	404	175.064
	–"–		आरक्षित	403	173.284
	–"–		आरक्षित	402	61.605
	–"–		आरक्षित	407	175.758
	–"–		आरक्षित	408	160.395
	–"–		आरक्षित	409	147.537
	–"–		आरक्षित	405	182.066
	–"–		आरक्षित	406	234.013
	–"–		आरक्षित	410	213.518
	–"–		आरक्षित	411	136.338
	–"–		आरक्षित	412	271.530
	–"–		आरक्षित	413	123.631
	–"–		आरक्षित	414	222.995
	–"–		आरक्षित	415	279.559
	–"–		आरक्षित	421	263.139
	–"–		आरक्षित	422	190.095
	–"–		आरक्षित	423	151.641
	–"–		आरक्षित	424	160.757
	–"–		आरक्षित	420	245.677
	–"–		आरक्षित	416	116.720
	–"–		आरक्षित	417	195.287
	–"–		आरक्षित	418	214.091
	–"–		आरक्षित	419	243.128
5	कुलैथ पार्ट	5447.084	आरक्षित	359 का भाग	216.221
	–"–		आरक्षित	360 का भाग	222.599
	–"–		आरक्षित	361	242.556
	–"–		आरक्षित	362	136.188
	–"–		आरक्षित	363	258.613
	–"–		आरक्षित	364	309.112
	–"–		आरक्षित	365	188.587
	–"–		आरक्षित	366	219.645
	–"–		आरक्षित	367	248.863
	–"–		आरक्षित	368	151.280

क्रं.	वनखण्ड	अधिसूचित क्षेत्र	आरक्षित / संरक्षित	कक्ष कमांक	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
	—"—		आरक्षित	369	178.083
	—"—		आरक्षित	370	281.493
	—"—		आरक्षित	371	252.424
	—"—		आरक्षित	372	358.852
	—"—		आरक्षित	373	189.401
	—"—		आरक्षित	374	261.781
	—"—		आरक्षित	375	105.673
	—"—		आरक्षित	376	134.075
	—"—		आरक्षित	377	225.803
	—"—		आरक्षित	378	180.890
	—"—		आरक्षित	379	174.521
	—"—		आरक्षित	380	134.347
	—"—		आरक्षित	381	183.274
	—"—		आरक्षित	382	187.771
	—"—		आरक्षित	383	201.958
	—"—		आरक्षित	384	203.075
6	रायपुर पार्ट	3494.681	आरक्षित	326	210.169
	—"—		आरक्षित	327	249.921
	—"—		आरक्षित	328	288.376
	—"—		आरक्षित	329	184.482
	—"—		आरक्षित	330	247.506
	—"—		आरक्षित	331	177.600
	—"—		आरक्षित	332	269.663
	—"—		आरक्षित	333	174.823
			आरक्षित	334 का भाग	128.497
			आरक्षित	335 का भाग	177.999
	—"—		आरक्षित	336	161.059
	—"—		आरक्षित	337	183.205
	—"—		आरक्षित	338	270.750
	—"—		आरक्षित	339	226.377
	—"—		आरक्षित	340	163.836
	—"—		आरक्षित	341	194.624
	—"—		आरक्षित	342	139.900
	—"—		आरक्षित	343 का भाग	45.896
7	डूडापुरा	3655.522	आरक्षित	399	228.760
	—"—		आरक्षित	400	214.212
	—"—		आरक्षित	395	256.288
	—"—		आरक्षित	396	199.965
	—"—		आरक्षित	397	263.775
	—"—		आरक्षित	398	159.972
	—"—		आरक्षित	385	248.895
	—"—		आरक्षित	386	231.717
	—"—		आरक्षित	387	279.591
	—"—		आरक्षित	388	240.472

क्रं.	वनखण्ड	अधिसूचित क्षेत्र	आरक्षित/संरक्षित	कक्ष कमांक	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
	—"—		आरक्षित	389	177.026
	—"—		आरक्षित	390	202.742
	—"—		आरक्षित	391	301.685
	—"—		आरक्षित	392	218.830
	—"—		आरक्षित	393	169.511
	—"—		आरक्षित	394	262.081
8	पिपरझील पार्ट	6904.562	आरक्षित	430	196.132
	—"—		आरक्षित	431	238.992
	—"—		आरक्षित	432	183.304
	—"—		आरक्षित	433	210.167
	—"—		आरक्षित	434	154.475
	—"—		आरक्षित	435	184.954
	—"—		आरक्षित	436	153.151
	—"—		आरक्षित	437	189.189
	—"—		आरक्षित	438	227.010
	—"—		आरक्षित	439	211.375
	—"—		आरक्षित	440	164.802
	—"—		आरक्षित	441	244.697
	—"—		आरक्षित	442	224.443
	—"—		आरक्षित	443	182.580
	—"—		आरक्षित	444	285.173
	—"—		आरक्षित	445	218.136
	—"—		आरक्षित	446	259.578
	—"—		आरक्षित	447	203.255
	—"—		आरक्षित	448	213.669
	—"—		आरक्षित	449	186.564
	—"—		आरक्षित	450	172.226
	—"—		आरक्षित	451	193.608
	—"—		आरक्षित	452	270.142
	—"—		आरक्षित	453	183.818
	—"—		आरक्षित	454	167.217
	—"—		आरक्षित	455	200.056
	—"—		आरक्षित	456	207.541
	—"—		आरक्षित	457	290.274
	—"—		आरक्षित	458	177.509
	—"—		आरक्षित	459 का भाग	39.251
	—"—		आरक्षित	460 का भाग	16.995
	—"—		आरक्षित	463 का भाग	119.533
	—"—		आरक्षित	464 का भाग	114.008
	—"—		आरक्षित	465	198.486
	—"—		आरक्षित	466	213.944

क्र.	वनखण्ड	अधिसूचित क्षेत्र	आरक्षित / संरक्षित	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
	—"—		आरक्षित	467 का भाग	128.504
	—"—		आरक्षित	468 का भाग	38.020
	—"—		आरक्षित	475 का भाग	41.786
9	आर.एफ. एम.जीबी. रायपुर	2427.873	आरक्षित		2427.873
10	आर.एफ. एम.जीबी. पवापावटा	4137.834	आरक्षित		4137.834
11	आर.एफ. एम.जीबी. बरई पनिहार	208.737	आरक्षित		208.737
	योग एम.जी.बी.	**6774.444**			
	योग आरक्षित वन	**30614.121**			
	राजस्व क्षेत्र	**7294.000**			
	महायोग	**39892.137 हेक्टेयर या 398.92 वर्ग कि.मी.**			

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2020

क्र. एफ 15—39—2005—दस—2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15—39—2005—10—2, दिनांक 16 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.एस.मोहन्ता, सचिव.

Bhopal dated 16th November 2020

No. 15-39/2005/10-2:: In exercise of the powers conferred by section 18 (1) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the State Government vide Notification no. 15-16-75-X-2 dated 21 may 1981, (Madhya Pradesh gazette dated 12 June 1981) had decleared 512 sq. km aera as Ghatigaon "Hukna Bird" (Great Indian Bustared) Sanctuary. State Government had excluded 1.35 sq. km area from this Sanctuary vide Notification no. F-14-146-91-X-2 dated 21 January 1994.

After getting all the competent permissions, State Government through partial modification in the Notification dated 21 May 1981 hereby, exculdes 111.73 sq. km revenue area from sanctuary which shall cease to be sanctuary with effect from the date of publication of this notification in the gazette, as mentioned in annexure-I. As a result the remaining area of Ghatigaon Hukna Bird Sanctuary will be as per annexure-II of this Notification, the details are as follows :-

Details of the modified area of Ghatigaon Hukna Bird santury

Name of Sanctuary	Ghatigaon Hukna Bird Sanctuary
District	Gwalior
Tehsil	Gwalior, Ghatigaon
Forest Division	Gwalior (Territorial)
Forest Range	Game Range Tighra /Ghatigaon
Area	Reserved forest - 306.14 sq.km. Protected forest - 19.84 sq. km. Revenue area - 72.94 sq. km.
Total	398.92 sq.km.

Modified Boundaries of the Sanctuary

North- From Asan river to North boundary of forest block Piperjheel, North boundary of forest block Kulaith and artificial boundary of compatment no. 359, 360 upto Tighra waterbody and North boundary of compt. no. 337 of forest block Raipur, Western boundary of compatment no. 335, 336, Eastern bounadary of compatment no. 334, North boundary of compatment no. 328, 329, 330, 326, 327 runing upto Tighra-Gwalior PWD road.

East –Eastern boundary of compatment no. 326, 327, 330 of forest block Raipur. From Agra-Bombay road to south boundary of forest block Raipur, Eastern boundary of MGB Pawa-Pawta towards A.B. road-upto compatment no. 411.

South–From Agra-Bombay road to Western boundary of compatment no. 411, 412, Southern boundary of compatment no. 413, 414, 415, 421 and South boundary of compatment no. 416, southern boundary of compt. no. 417, 418 and Southern and Western boundary of compatment no. 418 and Southern boundary of compatment no. 431, 432, 433 upto Dandakhirak-Basota road.

West –From Southern boundary of compatment no. 433 to basota road upto Asan river of Morena district boundary.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H.S. Mohanta, Secy.

annexure-I

Detail of the area of Revenue land excluded from the Ghatigaon Hukna Bird Sanctu

No.	Name of the revenue village	area (in hectare)
1	Girwai	1275.515
2	Chak Girwai	17.20
3	Kota lashkar	34.24
4	Bara	136.525
5	Nayagaon	126.307
6	Panihar	350.315
7	Raipur (Jhala, kanser, Amai Aama)	2370.88
8	Barai	2321.83
9	Malipura	164.05
10	Sujvaya	303.54
11	Tighra	327.68
12	Bitholi	38.995
13	Maharajpura	78.251
14	Odpura	5.421
15	Sojna	2.532
16	Ghatigaon	601.15
17	Dhua	1073.04
18	Jakhodi	153.55
19	Khitaira	525.09
20	Basai kala	475.106
21	Sameri (Jharara)	600.55
22	Kalakhet	84.6
23	Rampura	106.63
	Total	**11173 ha. 111.73 sq.km.**

annexure-II

Remaining area under Ghatigaon Hukna Bird Sanctuary (in hectare)

No.	Forest block	Notified area	Reseved/Protected	compt. no.	Area
1	2	3	4	5	6
1	Barai panihar	56.656	Protected	P- 401	56.656
2	amai ama	85.388	Protected	P-345	85.388
3	Rai	1841.972	Protected	P-427	436.337
			Protected	P-426	314.375
			Protected	P-425	322.873
			Protected	P-428	477.342
			Protected	P-429	291.045
	Total PF	**1984.016**			
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

4	Ghatigaon Part	4337.828	Reserved	404	175.064
			Reserved	403	173.284
			Reserved	402	61.605
			Reserved	407	175.758
			Reserved	408	160.395
			Reserved	409	147.537
			Reserved	405	182.066
			Reserved	406	234.013
			Reserved	410	213.518
			Reserved	411	136.338
			Reserved	412	271.530
			Reserved	413	123.631
			Reserved	414	222.995
			Reserved	415	279.559
			Reserved	421	263.139
			Reserved	422	190.095
			Reserved	423	151.641
			Reserved	424	160.757
			Reserved	420	245.677
			Reserved	416	116.720
			Reserved	417	195.287
			Reserved	418	214.091
			Reserved	419	243.128
5	**Kulaith Part**	5447.084	Reserved	Part of 359	216.221
			Reserved	Part of 360	222.599
			Reserved	361	242.556
			Reserved	362	136.188
			Reserved	363	258.613
			Reserved	364	309.112
			Reserved	365	188.587
			Reserved	366	219.645
			Reserved	367	248.863
			Reserved	368	151.280

No.	Forest block	Notified area	Reseved/Protected	compt. no.	Area
1	2	3	4	5	6
			Reserved	369	178.083
			Reserved	370	281.493
			Reserved	371	252.424
			Reserved	372	358.852
			Reserved	373	189.401
			Reserved	374	261.781
			Reserved	375	105.673
			Reserved	376	134.075
			Reserved	377	225.803
			Reserved	378	180.890
			Reserved	379	174.521
			Reserved	380	134.347
			Reserved	381	183.274
			Reserved	382	187.771
			Reserved	383	201.958
			Reserved	384	203.075
6	Raipur part	3494.681	Reserved	326	210.169
			Reserved	327	249.921
			Reserved	328	288.376
			Reserved	329	184.482
			Reserved	330	247.506
			Reserved	331	177.600
			Reserved	332	269.663
			Reserved	333	174.823
			Reserved	Part of 334	128.497
			Reserved	Part of 335	177.999
			Reserved	336	161.059
			Reserved	337	183.205
			Reserved	338	270.750
			Reserved	339	226.377
			Reserved	340	163.836
			Reserved	341	194.624
			Reserved	342	139.900
			Reserved	Part of 343	45.896
7	Dundapura	3655.522	Reserved	399	228.760
			Reserved	400	214.212
			Reserved	395	256.288
			Reserved	396	199.965
			Reserved	397	263.775
			Reserved	398	159.972
			Reserved	385	248.895
			Reserved	386	231.717
			Reserved	387	279.591

No.	Forest block	Notified area	Reseved/Protected	compt. no.	Area
1	2	3	4	5	6
			Reserved	388	240.472
			Reserved	389	177.026
			Reserved	390	202.742
			Reserved	391	301.685
			Reserved	392	218.830
			Reserved	393	169.511
			Reserved	394	262.081
8	**Piperjheel part**	6904.562	Reserved	430	196.132
			Reserved	431	238.992
			Reserved	432	183.304
			Reserved	433	210.167
			Reserved	434	154.475
			Reserved	435	184.954
			Reserved	436	153.151
			Reserved	437	189.189
			Reserved	438	227.010
			Reserved	439	211.375
			Reserved	440	164.802
			Reserved	441	244.697
			Reserved	442	224.443
			Reserved	443	182.580
			Reserved	444	285.173
			Reserved	445	218.136
			Reserved	446	259.578
			Reserved	447	203.255
			Reserved	448	213.669
			Reserved	449	186.564
			Reserved	450	172.226
			Reserved	451	193.608
			Reserved	452	270.142
			Reserved	453	183.818
			Reserved	454	167.217
			Reserved	455	200.056
			Reserved	456	207.541
			Reserved	457	290.274
			Reserved	458	177.509
			Reserved	Part of 459	39.251
			Reserved	Part of 460	16.995
			Reserved	Part of 463	119.533
			Reserved	Part of 464	114.008

No.	Forest block	Notified area	Reseved/Protected	compt. no.	Area
1	2	3	4	5	6
			Reserved	465	198.486
			Reserved	466	213.944
			Reserved	Part of 467	128.504
			Reserved	Part of 468	38.020
			Reserved	Part of 475	41.786
9	MGB RF Raipur	2427.873	Reserved		2427.873
10	MGB RF Pawa pawta	4137.834	Reserved		4137.834
11	MGB RF Barai panihar	208.737	Reserved		208.737
	Total MGB	**6774.444**			
	Total RF	**30614.121**			
	Revenue area	**7294.000**			
	Grand Total	**39892.137 ha. or 398.92 sq.km**			

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2020

क्रमांक/एफ 15–11/2018/10–2 :: मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 के नियम 3(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतदद्वारा निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करता है :–

अनुसूची

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टयर)	सीमायें
1.	अनुपपूर	कोतमा	पाठबाबा	आरक्षित वन–423	411.83	पूर्व– ग्राम चपानी पश्चिम– ग्राम भोडाकछार उत्तर– ग्राम भेडरीतलैया दक्षिण– ग्राम लेदरा
2.	देवास	सतवास	किटी रेस्ट हाऊस	आरक्षित वन–360	10.00	पूर्व– इंदिरा सागर डूब क्षेत्र एवं नर्मदा नदी पश्चिम– पुनरास्थापित ग्राम किटी उत्तर– जमोली नाला दक्षिण–इंदिरा सागर डूबक्षेत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.एस.मोहन्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2020

क्र. एफ 15—11—2018—दस—2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15—11—2018—10—2, दिनांक 16 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.एस.मोहन्ता, सचिव.

Bhopal dated 16th November 2020

No./F 15-11/2018/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the rule 3(1) of Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. The State Government hereby declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :-

Schedule

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hact)	Boundaries
1.	Anoopur	Kotma	Pathbaba	Reserve Forest-423	411.83	East-Village Chapani West- Village Bhodakchar North- Village Bhedaritalaiya South- Village Ledra
2.	Dewas	Satvas	Kiti Rest house	Reserve Forest-360	10.00	East- Submerge area Indirasagar and Narmada River West-Rehabilited village Kiti North- Jamoli Nala South-Submerge area Indirasagar

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H.S. Mohanta, Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

रायसेन, दिनांक 8 सितम्बर 2020

क्र.–6155–एस.डब्ल्यू.–2020.– मध्यप्रदेश शासन, ग्रह (पुलिस) विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–2(क)–09–08–बी–3–दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर नव निर्मित थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर्स को अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उपसचिव भी घोषित किया गया है.

पुलिस अधीक्षक, रायसेन के प्रस्ताव पत्र क्रमांक/पु.अ./रायसेन/ओएम/194/2020, दिनांक 05 सितम्बर 2020 के द्वारा ग्राम झिरी एवं ग्राम बहेड़ा, थाना नूरगंज से 35 कि.मी. दूर तथा थाना मंडीदीप से लगभग 28–29 कि.मी. है. जिसके कारण कोई घटना/दुर्घटना घटित होने पर वहां पुलिस बल पहुंचाने में समय लग जाता है. बल को उक्त स्थानों तक समय पर सहायता पहुंचने हेतु ग्राम झिरी एवं ग्राम बहेड़ा को थाना नूरगंज से थाना मंडीदीप में शामिल किये जाने के प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्रेषित कर, अधिसूचना जारी किये जाने का निवेदन किया है.

अतएव, पुलिस अधीक्षक, रायसेन के प्रस्तावानुसार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सरल क्र.2.) की धारा 2 के खण्ड (एस) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना की तारीख से

(एक) नीचे दी गई सारणी में कॉलम (2) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है, और

(दो) जिला रायसेन के पुलिस थाना नूरगंज, तहसील गौहरगंज के अन्तर्गत है को सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट ग्रामों को पुलिस थाना मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन में सम्मिलित करती है :–

सारणी

क्र.	उस पुलिस थाने का नाम, तहसील व जिला जिसमें से ग्राम अपवर्जित किया गया	उन ग्रामों के नाम जो थाना मण्डीदीप में सम्मिलित किया गया
(1)	(2)	(3)
01	पुलिस थाना नूरगंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन	ग्राम झिरी एवं ग्राम बहेड़ा

उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

"कचनार, ई–5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2020

क्र.–4948–अमृत–वि.यो.07–नग्रानि–2020.– मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 (1) के तहत डबरा विकास योजना, 2031 (प्रारुप) पर आपत्ति/सुझाव 30 दिवस में आमंत्रित किए जाने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 28 फरवरी 2020 की अधिसूचना प्रकाशित की गई है.

कोविड–19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन के अन्तर्गत आमजन के लिये विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाये थे, जिसके कारण आमजन को प्रारुप योजना पर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने में कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 1643–815–2020–अठारह–5, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2020 के परिपालन में, एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारुप पर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किए जाने की अवधि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस की होगी.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की उक्त सूचना दिनांक 28 फरवरी 2020 की निरंतरता में लेख है कि प्रारुप की एक प्रति संचालनालय की वेबसाईट http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Gwalior/Amrut/dabra.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है :–

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
2. जिला कलेक्टर, ग्वालियर
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, डबरा
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर, मध्यप्रदेश

यह भी लेख है कि आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर या ई–मेल आई.डी. obj-sugg-dabra@mp.gov.in में निर्धारित अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे.

No.4948/Amrut.D.P/07/TCP/2020.– Through the notification dated 28th Febrary 2020 published in the Madhya Pradesh Gazette, objections or suggestions on the draft Dabra Development Plan, 2031 has been invited within 30 days under Section-18(1) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

Normal activities of the general public were restricted in the period of lockdowns by the Government of India due to Covid-19 pandemic. therefore, in view of the possible difficulties to the general public in submitting objections or suggestions under those circumstances and in pursuance of order No 1643–815–2020–XXIII-5, Bhopal dated 12th November 2020 of the Department of Urban Development & Housing, Government of Madhya Pradesh, it is hereby informed that the duration for submission of objections or suggestions on the said draft shall be 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

In continuation of the said notices, dated 28th Febrary 2020, it is stated thst a copy of the draft is available for inspection on website of Directorate- **http://mptownplan.gov.in/lu-panel Gwalior/Amrut/dabra.pdf** and at following offices during office hours namely : –

1. Commissioner, Gwalior Division, Gwalior
2. Collector, District Gwalior
3. Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Dabra.
4. Joint Director, Town and Country Planning, District Office Gwalior, M.P.

It is also stated that objections or suggestions may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, District Office Gwalior or on email ID- obj-sugg-dabra@mp.gov.in, before expiry of the stipulated period for due consideration.

अजीत कुमार, आयुक्त–सह–संचालक.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

आलोट, दिनांक 4 नवम्बर 2020

अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय निति 2014.

क्र.—2577—भू—अर्जन—2020— प्र. क्र. 03—अ—82—2020—21.— एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आक्या ताजली स्टाप डेम योजनान्तर्गत ग्राम आक्या ताजली, तहसील आलोट के निर्माण हेतु खाताधारक के निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ—12—2—2014—सात—2—ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है.

अतः निम्नलिखित ग्राम की भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहमति प्रस्तुत करें. नियत अवधि पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ती पर विचार नही किया जायेगा :—

ग्राम आक्या ताजली, पटवारी हल्का नम्बर 18

क्र	कृषक का नाम व पिता का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टेयर में			परिसम्पत्तियों का विवरण
				सिंचित	असिंचित	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	मंगू पिता नाथू भूमि स्वामी	आक्या ताजली	206/1	0.100	—	0.100	

गोपालचन्द्र डांड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

"कचनार", ई—5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्र.—4974—विदिशा वि.यो. 496—नग्रानि—2020 भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2020

विदिशा विकास योजना, 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि विदिशा विकास योजना में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : —

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल
2. कलेक्टर, जिला विदिशा
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय विदिशा, म.प्र.
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, विदिशा

अनुसूची

<table>
<tr><th></th><th>क्रं</th><th>विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान</th><th>उपांतरण पश्चात् प्रावधान</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>अध्याय–3
3.10 बायपास मार्गो पर नियंत्रण
"इन मार्गो के दोनों ओर 75–75 मीटर भूमि छोड़कर 200 मीटर गहराई तक निम्न गतिविधियां प्रस्तावित की जा सकती हैं"</td><td>अध्याय–3
3.10 बायपास मार्गो पर नियंत्रण– इस बायपास के दोनों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से अनापत्ति पश्चात् तथा इसके पश्चात् मार्ग के दोनों तरफ 200–200 मीटर गहराई तक कृषि भूमि उपयोग में निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी। अन्य गतिविधियां विदिशा विकास योजना में प्रदर्शित भूमि उपयोग के अनुरूप मान्य होंगी। बायपास का रेखांकन स्थल पर निर्मित मार्ग अथवा खसरा अक्स (जो भी मार्ग से दूर हो) के अनुसार मान्य किया जा सकेगा।</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>4.7 आवासीय अभिन्यास विकास के नियमन
4.7.1 ले–आउट में खुले क्षेत्र, ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन निम्नानुसार होंगे–
विदिशा : ले–आउट में खुले क्षेत्र,ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन
4–सा–3
<table>
<tr><th>कमांक</th><th>ले–आउट का न्यूनतम क्षेत्र (हेक्टेयर में)</th><th>न्यूनतम खुला क्षेत्र (प्रतिशत)</th><th>एमेनिटी के लिये न्यूनतम क्षेत्र यथा शैक्षणिक स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं (प्रतिशत)</th><th>स्थानीय सुविधाजन क दुकानें (प्रतिशत)</th><th>अधिकतम आवासीय भूखण्डीय क्षेत्र (प्रतिशत)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>1</td><td>4.0 हेक्टेयर या अधिक</td><td>10</td><td>8.0</td><td>2.0</td><td>50</td></tr>
<tr><td>2</td><td>3 हेक्टेयर से 3.99</td><td>12</td><td>6.5</td><td>1.5</td><td>50</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2.0 हेक्टेयर से 2.99</td><td>13</td><td>6.0</td><td>1.0</td><td>50</td></tr>
</table>
टीपः– आवास एवं पर्यावास नीति, 2007 में समय–समय पर किये गये संशोधन मान्य होंगे।</td><td>विलोपित</td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td>4.20 बायपास मार्ग
"इस बायपास के दोनों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र को छोड़ते हुए इसके पश्चात् मार्ग के दोनों तरफ 200–200 मीटर तक निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी"–</td><td>4.20 बायपास मार्ग
इस बायपास के दोनों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से अनापत्ति पश्चात् तथा इसके पश्चात् मार्ग के दोनों तरफ 200–200 मीटर गहराई तक कृषि भूमि उपयोग में निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी। अन्य गतिविधियां विदिशा विकास योजना में प्रदर्शित भूमि उपयोग के अनुरूप मान्य होंगी। बायपास का रेखांकन स्थल पर निर्मित मार्ग अथवा खसरा अक्स (जो भी मार्ग से दूर हो) के अनुसार मान्य किया जा सकेगा।</td></tr>
</table>

2	सारणी 4 सा 18 के सरल कमांक 4 कॉलम 4 में कलाकेन्द्र के पश्चात् निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है:– **सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग****
3	सारणी 4 सा 18 के सरल कमांक 7 कॉलम 4 में गौशाला के पश्चात् निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है:– **सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।** **व्याख्या–** **1 *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।** **2 ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।** **3 *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।** **टीप :– उपरोक्त 1 एवं 2 के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।**

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त–सह संचालक.

राज्य शासन के आदेश
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2020

सूचना

क्रमांक–एफ–3–74/2020/18–5:– मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक–941/टीसी /659/उपां /नग्रानि /2017 दिनांक 05/10/2020 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सीधी विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:–

<u>अनुसूची</u>

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ग्राम कोतरकलां, तहसील गोपदबनास	686 687 689/2	0.619हेक्टेयर 0.882हेक्टेयर 0.409हेक्टेयर	आवासीय, व्यावसायिक, सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	वाणिज्यिक (पुर्नघनत्वीकरण योजना)
		योग :–	**1.910 हेक्टेयर**		

उपरोक्त उपांतरण सीधी विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2020

क्र.एफ–3–52/2020/18–5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 545/वि.यो./शुजालपुर/नग्रानि/2020, भोपाल दिनांक 27/01/2020 द्वारा प्रकाशित शुजालपुर विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार शुजालपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:–

1. आयुक्त, उज्जैन, संभाग उज्जैन
2. कलेक्टर, शाजापुर जिला शाजापुर
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय देवास मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, शुजालपुर, मध्यप्रदेश

उपांतरणों का विवरण

अध्याय–6

शुजालपुर : उपयोग परिक्षेत्रों/उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

सारणी 6–सा–8 की कंडिका 59 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

6–सा–8

अनु. क्र.	उपयोग/ गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सामने स्थित मार्ग को न्यूनतम चौडाई (मीटर में)	भू–तल अधिकतम कव्हरेज (प्रतिशत में)	एफ.ए. आर.	ऊंचाई (मीटर में)	न्यूनतम एम.ओ. एस. (मीटर में)			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र	अन्य नियंत्रण / न्यूतम फ्रण्टेज (मीटर में)
							सामने	पीछे	साईडस्		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	भूखण्डीय विकास	कोई नही	6.00	30–60 एकल	1:1.25	12.50	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	A=100	(1)फ्रण्टेज = ले–आउट

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश, शासन, राजस्व विभाग, जिला देवास, मध्यप्रदेश

क्र.—1755—भू—अर्जन—20 देवास, दिनांक 17 नवम्बर 2020

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र.1 में आई.एस.पी.—पार्वती लिंक परियोजना फेस । & ॥ के अंतर्गत पम्प हाउस कं.—02 के पहुंच मार्ग निर्माण के अन्तर्गत ग्राम मालागांव तहसील सतवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है— सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि आई.एस.पी.—पार्वती लिंक परियोजना फेस । & ॥ के अंतर्गत पम्प हाउस कं.—02 के पहुंच मार्ग निर्माण से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है :— अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है—

अनुसूची-1

ग्राम— मालागांव तहसील— सतवास

क.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	आई.एस.पी.—पार्वती लिंक परियोजना फेस । & ॥ के अंतर्गत पम्प हाउस कं.—02 के पहुंच मार्ग निर्माण	2.34	0	2.34

अनुसूचि-2

आई.एस.पी.—पार्वती लिंक परियोजना फेस । & ॥ के अंतर्गत पम्प हाउस कं.—02 के पहुंच मार्ग निर्माण के अन्तर्गत ग्राम मालागांव की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम— मालागांव तहसील—सतवास

क्र.	कृशक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	काशम खां, रहीश खां, शहीद खां पिता रसूल खां	77/1	0.350	-	0.350	0.160	-	0.160
2	मीर खां, रसूल खां,	78	2.000	-	2.000	0.040	-	0.040
3	आयसा बाई वि. इसब खां, सेफू खां, इमरत खां, रासत खां, अब्दुल खां सरीफन बाई, हलीमन, बस्कर बाई पिता इसब खां	79/1	0.050	-	0.050	0.050	-	0.050
4	हबीब खां पिता बोंदर खां, समीद खां आशीक, शाहरूख, शमीनबी शकीना बी हजारा बी पि. हबीब खां	86	0.870	-	0.870	0.020	-	0.020
5	गजराज पिता दलपत बंजारा	113	1.210	-	1.210	0.050	-	0.050
6	रूपेंद्रराज जितेंद्रराज पिता रमेशचंद्र परधान	193	2.020	-	2.020	2.020	-	2.020

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन, राजस्व विभाग

सं. 211 शिवपुरी, दिनांक 23 नवम्बर 2020

प्रारुप – V
(नियम 10 देखें)

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ **जराय** ग्राम. **पिछोर** तालुक/**उपखंड/तहसील/ब्लॉक** (यथा लागू) **शिवपुरी** जिला **में कुल. 6.27 हेक्टेयर भूमि** अपेक्षित **है**, अर्थात, ।

इसलिए **घोषणा की जाती है** कि **उपर्युक्त** परियोजना के लिए अर्जन के अधीन **एक** भू–खंड **है**, जो **6.27** हेक्टेयर है जो ग्राम **जराय** तालुक/उपखंड /तहसील/**ब्लॉक** (यथा **लागू**) **पिछोर** जिला **शिवपुरी** में है, जिसका **विस्तृत ब्यौरा** निम्नलिखित **है** :

क्रमांक	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्र (हे.)	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कृषक का नाम पिता/पति का नाम	संरचनाओ आदि का ब्यौरा संख्या	प्रकार	प्लिंथ एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	367	भूमि स्वामी	असिंचित	0.30	0.09	वाबूलाल वृजनदन गोरीशंकर पुत्र विक्रमजीत पाना वेवा विक्रमजीत मानकुवर पुत्री विक्रमजीत जाति लोधी 1/2 संजीव राजीव महेन्द्र पुत्र काशीराम हसमुखी पुत्री काशीराम रामकली वेवा काशीराम जाति लोधी 1/2 वाबूलाल पुत्र विक्रमजीत			
	358	भूमि स्वामी	असिंचित	0.29	0.01				
2	365	भूमि स्वामी	सिंचित	0.84	0.49	हरीनिवास देवेन्द्र पुत्र श्रीपत जाति लोधी 5/16 हरीनिवास देवेन्द्र नावा. पुत्र श्रीपत जाति लोधी 1/48 कलिया वेवा धीरजसिंह वीरवती पत्नि केदार राखी पुत्री वीरसिंह जाति लोधी 1/48 रामसेवक किशनलाल कल्याण पुत्र धर्मा जाति पाल 1/48			
	359	भूमि स्वामी	सिंचित	0.10	0.06	रामसेवक किसनलाल कल्याण पुत्र धर्मा शांति पुत्री धर्मा सेवरानी वेवा धर्मा जाति लोधी 5/16 यंशवंत पुत्र हरनाम हरिराम नावा. पुत्र हरनाम सर पिता हरनाम पुत्र गोविन्दास जाति पाल 10/64 रामसिंह पुत्र दयाराम जाति पाल 10/64			
3	360	भूमि स्वामी	असिंचित	0.71	0.04	सिया पत्नि वाघराज सुरेशकुमार पुत्र वाघराज रामकली पत्नि गुलाव रमकू पत्नि शालिगराम गुडडी पुत्री वावूलाल रामदास भगवानसिंह लज्याराम पुत्र जगना धनिया पुत्री जगना केहरी पुत्र अजुददी भग्गू सुन्दर पुत्र नन्दा 1/2 सरजू पुत्री गोरे 1/2 जाति लोधी			

4	352	भूमि स्वामी	असिंचित	0.02	0.005	रामसेवक पुत्र लक्ष्मण 3/4 अजयसिंह वीरसिंह पुत्र रामसेवक 1/4 जाति लोधी			
5	312	भूमि स्वामी	असिंचित	0.38	0.09	रामजीलाल पुत्र रघुनाथ जाति लोधी			
	353	भूमि स्वामी	असिंचित	0.05	0.045				
6	313	भूमि स्वामी	सिंचित	1.44	0.50	हेमराज पुत्र रामचरन जाति लोधी जाति लोधी 1/3 सुखनंदन जिहानसिंह रामगोपाल पुत्र भगवानदास जाति लोधी 1/3 बाघराज पुत्र रघुनाथ जाति लोधी 1/3	एक कुआ	कच्चा	
7	319	भूमि स्वामी	असिंचित	1.50	0.60	सरोज पत्नि रामगोपाल जाति लोधी 107/240 हरदास पुत्र भरतु 11/240 जगदीश कोकसिंह पुत्र नन्दा धनकू वेवा नन्दा नथ्था प्रागीलाल पुत्र गोकलिया 1/2 जाति जाटव			
8	317	भूमि स्वामी	असिंचित	0.61	0.27	किशोरा हरनाम पुत्र रमली जाति लोधी			
	44/2			0.71	0.09				
9	41	भूमि स्वामी	असिंचित	1.03	0.07	रामसिंह जगराम मलखानसिंह पुत्र शिवलाल 7/9 कमलाबाई पुत्री शिवलाल 2/9 जाति लोधी			
10	44/1	भूमि स्वामी	असिंचित	0.46	0.29	खुमान पुत्र विन्दी जाति लोधी			
11	45/1	भूमि स्वामी	असिंचित	0.31	0.08	रामदास पुत्र दलीपा 108/233 अन्द पुत्र रामदास 125/233 जाति लोधी			
12	45/2	भूमि स्वामी	असिंचित	0.47	0.07	रायसिंह पुत्र जलमा असर्फी पत्नि जलमा जाति लोधी			
13	46	भूमि स्वामी	असिंचित	2.83	0.06	समरथ पुत्र भजनलाल 3/8 रामकली पत्नि राजाराम 5/8 जाति लोधी			
14	61/2	भूमि स्वामी	असिंचित	0.46	0.04	किशनलाल रायसिंह रामकिशन पुत्र राजाराम जाति लोधी 3/4 बृजेश दिनेश पुत्र श्रीपत जाति साहू 1/4			
15	59	भूमि स्वामी	असिंचित	0.46	0.11	गौमा पुत्री प्यारेलाल 1/6 सुनील राजू नावा. पुत्र जगदीश 5/12 पुष्पेन्द्र गुरुदेश करन नावा. पुत्र कोकसिंह सर पिता खुद 5/12			
16	74	भूमि स्वामी	सिंचित	0.42	0.28	जगदीश कोकसिंह पुत्र नन्हा 3/4 नथ्था प्रागीलाल पुत्र गोकलिया 1/4 जाति चमार			
	75	भूमि स्वामी	सिंचित	0.18	0.06				
17	71	भूमि स्वामी	सिंचित	0.58	0.01	देवलाल पुत्र प्यारेलाल 1/3 नन्दराम पुत्र प्यारेलाल 1/3 रामदास पुत्र प्यारेलाल 1/3			
18	76	भूमि स्वामी	सिंचित	0.85	0.24	कुशमा पत्नि चंदनसिंह 2/3 रामसेवक 1/15 किशनलाल 1/15 कल्यान पुत्र धर्मा शान्ती पुत्री धर्मा 1/15 मु. सेवरानी वेवा धर्मा 1/15 जाति लोधी (कोरी)			

19	125/5	भूमि स्वामी	असिंचित	0.12	0.12	रामप्रसाद पुत्र हल्के जाति पाल			
20	125/3	भूमि स्वामी	असिंचित	0.10	0.06	सदाकुमारी पत्नि भरतलाल जाति लोधी			
21	127/3	भूमि स्वामी	असिंचित	0.07	0.05	भागीरथ पुत्र भजनलाल जाति पाल			
22	125/4	भूमि स्वामी	असिंचित	0.02	0.02	भागीरथ पुत्र भजनलाल जाति पाल रामप्रसाद पुत्र हल्के सदाकुमारी पत्नि भरतलाल जाति लोधी	एक कुआ	पक्का	
23	125/6	भूमि स्वामी	असिंचित	0.08	0.02	समरथ पुत्र भजनलाल			
24	123	भूमि स्वामी	असिंचित	1.05	0.15	मुकेश पुत्र खेतसिंह 75/105 हरकुवर पत्नि समरथ 30/105 जाति पाल			
25	77	भूमि स्वामी	असिंचित	0.59	0.13	बाबूलाल पुत्र बृजनन्दन गोरीशंकर पुत्र बिक्रमजीत मु. छीता पाना वेवा विक्रमजीत मानकुवर पुत्री विक्रमजीत निरभे पुत्र नंदलाल संजीव राजीव महेन्द पुत्र काशीराम हसमुखी पुत्री काशीराम रामकली वेवा काशीराम हरभजनलाल पुत्र लाडले रामसेवक पुत्र लक्ष्मण नुनिया वेवा लक्ष्मन जाति लोधी 1/2 रमेशचन्द्र पुत्र विश्वनाथ कनकने 1/2	२७२/२१ ना ग्राल्य		
26	78	भूमि स्वामी	सिंचित	0.63	0.02	परमेश्वरदास अम्रतलाल सूरतसिंह पुत्र भजनलाल जाति लोधी 1/3 निरभे पिता नन्दलाल जाति लोधी 1/3 सुखनन्दन बाघराज रामचरन रामगोपाल जिहानसिंह पुत्र भगवानदास हेमराज पुत्र रामचरन जाति लोधी 1/30 बाघराज पुत्र रघुनाथ जाति लोधी 1/30 रजिया रम्पी पुत्री रघुनाथ जाति लोधी 1/15 रजिया रम्पी पिता रघुनाथ जाति लोधी 1/6 रामसेवक पिता लक्ष्मन नुनिया वेवा लक्ष्मन जाति लोधी 1/6			
27	122	भूमि स्वामी	असिंचित	0.91	0.32	अमरसिंह पुत्र रघुवर जाति लोधी 1/3 माधवसिंह पुत्र रघुवर जाति लोधी 1/3 प्रीति वेवा पूरनसिंह जाति लोधी 1/3			
28	93	भूमि स्वामी	सिंचित	0.90	0.54	परमो पत्नि बृजलाल जाति लोधी	एक कुआ	कच्चा	
29	92	भूमि स्वामी	असिंचित	0.46	0.17	दानसिंह सुखनन्दन पुत्र बृजलाल जाति लोधी 1/4 सुरेन्द्र देवेन्द्र राजेशसिंह पुत्र विजयसिंह पुष्पा ऊषा मन्जू अन्जू पुत्री विजयसिंह कमला वेवा विजयसिंह जाति लोधी 1/2 राजेन्द्र धर्मेन्द्र शैलेन्द्र पिता रामसिंह मिथलेश कमलेश पुत्री रामसिंह रामदुलारी वेवा रामसिंह 1/4			
30	94	भूमि स्वामी	सिंचित	0.73	0.01	वीरसिंह पुत्र घन्नी जाति लोधी हि. 1/8 सुखनन्दन दानसिंह पुत्र बृजलाल जाति लोधी हि. 7/8			

31	96	भूमि स्वामी	सिंचित	0.93	0.10	बीरसिंह पुत्र चम्मी जाति लोधी 1/3 रमेशचन्द्र पुत्र विश्वनाथ कनकने 1/3 भुअन पत्नि सन्तोस जाति लोधी 1/3		
32	7/4	भूमि स्वामी	असिंचित	0.70	0.42	शिवदयाल पुत्र रोशनलाल शान्ति पत्नि शिवदयाल जाति वराहर		
33	7/5	भूमि स्वामी	असिंचित	0.80	0.08	कुन्जलाल सुन्दरलाल पुत्र सुकलाल दसिया पत्नि कुन्जलाल शीला पत्नि सुन्दरलाल जाति चमार		
34	9	भूमि स्वामी	सिंचित	0.96	0.26	इन्दु पत्नि प्रभूदयाल जाति ब्राहम्ण		
	2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.98	0.20			
कुल किता 40		कुल रकबा			6.27			

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या निशून्य है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भी भाग में पड़े कोयला, लौहा पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने है, खान और और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी एव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

अक्षयकुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 9428-भू-अर्जन कटनी, दिनांक 24 जुलाई 2020

रा.प्र.क्र.-0004-अ-82-2019-20—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अत: भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम घंघरौटा की अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुये आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	घंघरौटा	11.37	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्रं. 3 देवलोंद जिला शहडोल.	बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी के भू-अर्जन शाखा में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 9427-भू-अर्जन

रा.प्र.क्र.-0005-अ-82-2019-20—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अत: भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम पोड़ी की अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुये आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	पोंड़ी	5.43	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्रं. 3 देवलोंद जिला शहडोल.	बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी के भू-अर्जन शाखा में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 9246-भू-अर्जन

रा.प्र.क्र.-0006-अ-82-2019-20—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अत: भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम जारारोड़ा की अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुये आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	जारारोड़ा	3.65	कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्रं. 3 देवलोंद जिला शहडोल.	बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी के भू-अर्जन शाखा में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशि भूषण सिंह, कलेक्टर एवं उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 23 अक्टूबर 2020

क्र. 08-अ-82-17-18-जामपानी-12576.—भूमि, अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम जामपानी तहसील शाहपुर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 28 अगस्त 2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड-19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका. अत: अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (5) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बैतूल	शाहपुर	जामपानी	0.167	इटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया.

क्र. 07-अ-82-17-18-चापड़ामाल-12577.—भूमि, अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम चापड़ामाल तहसील शाहपुर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 7 जून 2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड-19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (5) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बैतूल	शाहपुर	चापड़ामाल	0.670	इटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया.

क्र. 8-अ-82-19-20-12579.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची—1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	हरदू	13.095	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल, जिला बैतूल (म. प्र.)	मोखा लघु जलाशय

अनुसूची—2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे.	अर्जित रकबा हे.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	छोटेलाल, रामदीन, लखनलाल व. जगना जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.	44	0.688	0.130
		92/2	0.503	0.503
		51	1.255	0.075
	योग . .		**2.446**	**0.708**
2	मुनिया पिता पन्ना जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.	45/2	0.446	0.325
		74/2	1.198	1.198
	योग . .		**1.644**	**1.523**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	बाबूलाल, बनवारी वल्द गोपाल जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.	67	0.214	0.150
4	लक्ष्मण, मनोहर वल्द टन्टू, केरा, संतरा, सुनिता पिता टन्टू जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.	72/1	0.334	0.320
		73/1	0.364	0.334
	योग . .		0.728	0.654
5	भग्गो बेवा गोपाल, बाबूलाल, बनवारी, अनार, संतोष वल्द गोपाल जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.	72/2	0.365	0.250
		73/2	0.334	0.334
	योग . .		0.699	0.584
6	ममता वल्द गिरधारी जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.	74/1	1.178	1.178
7	बीरबल व. जोहरीलाल जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.	75/1	0.440	0.440
8	भग्गी व. जुगलाल, बजेश व साबूलाल, गेुलाबाई सरस्वती पिता साबूलाल, मुकेश नान्हू व. धीरज जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.	31/1	0.168	0.000
		76/1	0.372	0.372
		102	0.260	0.226
		107	0.267	0.165
		113/1	0.488	0.244
	योग . .		1.555	1.007
9	ब्रजलाल व. मौजी कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.	77/1	0.063	0.063
		105	0.316	0.290
		112/1	0.448	0.118
	योग . .		0.827	0.471
10	भजना ब्रजलाल व. मौजी जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.	77/2	0.185	0.185
		33	0.384	0.384
	योग . .		0..569	0.569
11	कलावती जौजे शोभाराम जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.	92/1	0.298	0.120
		99/1	0.209	0.209
	योग . .		0.569	0.329
12	जंगलसिंह वल्द बुकलू जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.	95/2	0.381	0.381
13	शोभाराम वल्द जियालाल जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.	98/2	0.755	0.755
		106	0.328	0.328
	योग . .		1.083	1.083
14	लालसिंग व जियालाल जाति कतिया पता सा. देह भू-स्वामी.	98/3	0.152	0.152
		111/2	0.476	0.180
		32/1	0.138	0.138
	योग . .		0.766	0.470
15	नान्ही बे. परसू राधे, सीताराम, घनश्याम व. परसू, सुक्कन, बुधराम व. कात्या, कलावती पुत्री परसू चंद्रकला कैलाश आनिक व. सुक्कन लता सुनिता अनिता अंजू पिता सुक्कन जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.	100/1	1.243	0.968

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	महेश व. जोहरीलाल जाति कतिया	101/1	0.301	0.230
17	पिन्टू उर्फ दिनेश व. जोहरीलाल जाति कतिया	101/3	0.300	0.300
18	भंगी व. बूकलू भागराम डालूरा रामपाल व. सहजा भागवती रामबाई समोती पिता सहजा जाति कतिया	114	0.057	0.057
19	नन्हा व. जियालाल जाति कतिया	116/1	0.699	0.294
20	जुंगी वल्द बूकलू जाति कतिया	8/2	0.122	0.122
		34/2	0.731	0.731
	योग . .		**0.853**	**0.853**
21	प्रहलाद वर्मानंद व. गेंदलाल महेश पिता गेंदलाल राजेश वल्द बलीराम जाति मेहरा.	34/3	0.796	0.796
22	रामू वल्द रामदयाल मीना, रेखा पिता रामदयाल जाति कतिया	46	4.853	0.050
	महायोग . .		**22.139**	**13.095**

(1) चूंकि मोखा लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है. धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार-पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचंना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 05-अ-82-17-18-कुण्डी-12580.—भूमि, अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम कुण्डी तहसील शाहपुर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 7 जून 2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड-19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका. अत: अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (5) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बैतूल	शाहपुर	कुण्डी	0.758	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया.

क्र. 04-अ-82-17-18-चिखल्दाखुर्द-12581.—भूमि, अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम चिखल्दाखुर्द तहसील शाहपुर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 7 जून 2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड-19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका. अत: अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (5) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बैतूल	शाहपुर	चिखल्दाखुर्द	0.406	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया.

क्र. 10-अ-82-17-18-खकराकोयलारी-12582.—भूमि, अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम खकराकोयलारी तहसील घोड़ाडोंगरी स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 7 जून 2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड-19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका. अत: अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (5) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बैतूल	घोड़ाडोगरी	खकराकोयलारी	0.153	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 21 अक्टूबर 2020

क्र. 6259-जि.भू.अ.--2020—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11

की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-सिवनी भाग-2.	ग्राम-ड़ोरली छतरपुर प.ह.नं.-110.	0.10 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्तियां.	उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा.	छिंदवाड़ा-नैनपुर-मंड़ला फोर्ट के मध्य छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तन हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे मध्य रेल्वे, छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

सिवनी, दिनांक 24 अक्टूबर 2020

क्र. 6391-जि.भू.अ.--2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-बरघाट रा.नि.मं.-बरघाट	ग्राम-मण्डी ब.नं.-510 प.ह.नं.-53	1.48 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, सिवनी.	कांचना मंड़ी जलाशय की बायी तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बरघाट में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 6392-जि.भू.अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-बरघाट रा.नि.मं.-बरघाट	ग्राम-जावरकोठी ब.नं.-207 प.ह.नं.-53/23.	2.25 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी.	कांचना मंड़ी जलाशय की बायी तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बरघाट में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 6393-जि.भू.अ.-2020—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-बरघाट रा.नि.मं.-बरघाट	ग्राम-मानेगांवकला ब.नं.-479 प.ह.नं.-66.	0.14 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, सिवनी.	कांचना मंड़ी जलाशय की बायी तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बरघाट में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2020

क्र. A-2430-दो-2-35-2019.—श्रीमती निरुपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 18 अक्टूबर 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 अक्टूबर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरुपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरुपमा श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.

जबलपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2020

क्र. D-4220-दो-2-22-2017.—सुश्री शोभा पोरवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 20 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 अक्टूबर 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 से 30 अक्टूबर 2020 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री शोभा पोरवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री शोभा पोरवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2020

क्र. C-2702-दो-2-20-2016.—श्री दीपक कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2020

क्र. D-4419-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को दिनांक 23 से 26 सितम्बर 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 सितम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2020

क्र. D-4561-दो-2-62-2013.—श्री ओंकार नाथ, मेंबर सेक्रेटरी (एस.सी.एम.एस.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23 अक्टूबर 2020 के एक दिन के आकस्मिक/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D-4563-दो-2-47-2018.—श्री संजीव कुमार सरैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 21 से 28 मार्च 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार सरैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार सरैया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-4587-दो-3-30-2013.—श्री किशोर पिठवे, रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक

25 नवम्बर से 05 दिसम्बर 2020 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 दिसम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री किशोर पिठवे, रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री किशोर पिठवे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस. के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2020

क्र. A-2471-दो-3-420-80-भाग-बारह.—डॉ. शिवकुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री मिश्रा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान जाती है:—

1.	अर्जित अवकाश	. . 225
	अर्द्धवेतन अवकाश	. . 075
		योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 225 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. $= \dfrac{\text{सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता}}{30} \times 75$

जबलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2020

क्र. D-4632-दो-2-18-2020.—श्री योगेश कुमार गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 23 नवम्बर से 03 दिसम्बर 2020 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 नवम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-4634-दो-2-16-2010.—श्री रामकुमार चौबे, डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 20 नवम्बर 2020 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 से 17 नवम्बर 2020 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 नवम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-4636-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री कुशलपाल सिंह, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान जाती है:—

1.	अर्जित अवकाश	. . 116
	अर्द्धवेतन अवकाश	. . 174
		योग : 290 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान =116 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. $= \dfrac{\text{सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता}}{30} \times 174$

क्र. D-4653-दो-2-67-2016.—श्रीमती सुरभि मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 9 से 11 नवम्बर 2020 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 से 16 नवम्बर 2020 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुन: पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, ओ. एस. डी.

Jabalpur, the 31st October 2020

No. C-2777.—In exercise of powers conferred by Section 5 (1) of the Right to Information Act, 2005, Hon'ble the Acting Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh is hereby pleased to designate **Shri P. P. Gade, Deputy Registrar (M.), Bench Gwalior as State Public Information Officer** for the High Court of Madhya Pradesh, Bench Gwalior.

RAJENDRA KUMAR VANI, Registrar General.

Jabalpur, the 19th October 2020

No. 1448-CJ-II-805.—WHEREAS, Serious nature of acts of misconduct warrant suspension of Shri Radhe Shyam Madhiya, from service, pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of M. P. Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1966, and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court hereby places Shri Radhe Shyam Madhiya, IV Additional District Judge, Katni, under suspension with immediate effect with the headquarters at Katni. The High Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

By order of the High Court,

PRAMOD KUMAR AGRAWAL, Principal Registrar (Vigilance).